न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीणा R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
47/दावा/2017	27.07.2017	26.02.2021

भंवरलाल आ0 हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर आ0 बाला जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. कमला पत्नि नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. पप्पू उर्फ बजरंगलाल आ0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. मनभर पत्नि पप्पू जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. रामलाल आ0 बाला जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. गोपाल आ0 बाला जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादी:– श्री लीलाधर सिंह
अधिवक्ता प्रतिवादी:–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि कृषि भूमि ख0सं0 544/438 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान, पटवार क्षेत्र ठीकरिया चारणान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरूंधन, तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है, जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है एवं वर्तमान जमाबन्दी 2071–74 में वादी खातेदार दर्ज है।
2. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादी वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं उक्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त के अनुसार ही उक्त भूमि वादी ने निलामी के क्रय की है एवं उक्त भूमि पर वादी को दखल देकर दिनांक 23.01.2012 से वादी को खातेदार दर्ज कर दिया गया एवं उक्त भूमि पर वादी ने अभी गेहूँ की फसल बो रखी है।
3. यह कि प्रतिवादीगण ताकतवर व लडाकू किस्म के व्यक्ति है इनका मुख्य कार्य कमजोर व गरीब व्यक्तियों की भूमियों पर कब्जा करने व दादागिरी के बल पर भूमियों को हड़प करने का है। वादी गरीब वृद्ध व्यक्ति है जिसकी कमजोरी व लाचारी का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं वादी की फसल को नष्ट करने व कृषि भूमि के स्वरूप को नष्ट करने तथा वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास करते है एवं वादी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।
4. यह कि प्रतिवादीगण ताकतवर व लडाकू किस्म का व्यक्ति होने के कारण वादी की गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर वादी का वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि को छिनना चाहता है तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। इस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से कहा तो वह मारने पीटने पर आमादा होते है एवं धमकी लगाते है कि हम तेरी भूमि पर कब्जा करके रहेगे तू तेरे मर्जी पड़े जो कर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

5. यह कि वादी उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं वर्तमान में वादी की उक्त भूमि तरमीम हो चुकी है। इसलिए वादी अपनी तरमीम शुद्धा भूमि पर ही काबिज है। उक्त भूमि पर वादी ने मौके पर दखल व कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर वादी काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण नाजायज रूप से ताकत के बल पर वादी की वाद वर्णित भूमि को जबरन छिनना चाहता है एवं वादी को बेदखल कर वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जबकि प्रतिवादीगण का वादी की वाद वर्णित भूमि से कोई लेना देना नही है एवं प्रतिवादीगण को काई अधिकार नही है कि वह वादी की भूमि पर नाजायज रूप से अनुचित हस्तक्षेप करे। वादी ने वाद वर्णित भूमि को निलामी में क्रय किया है एवं मौके पर वादी को दखल किया गया है एवं भूमि का कब्जा संभलाया गया है उसी पर वादी निरन्तर तब से लेकर आज तक काश्त चला आ रहा है। निलामी से पूर्व भी वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता था एवं सरकार को पेनल्टी अदा करता था।
6. यह कि प्रतिवादीगण ने वादी को वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि से बेदखल कर दिया गया अथवा जबरन कब्जा कर लिया या गेहूँ की फसल को नष्ट कर दिया तो वादी को भारी अपूरणीयक्षति होगी, वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का नाजायज व अनुचित हस्तक्षेप नही करे और न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हस्तक्षेप व कब्जा करने का प्रयास करे।
7. यह कि प्रतिवादीगण के मन में बदनियन्ति आ गई है और वे वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे है तथा वादी को गैर कानूनी रूप से बेदखल कर कब्जा करके भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा होते है तथा मना करने पर लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा होते है। इस बाबत् वादी ने सन् 2012 में भी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया था जिस समय प्रतिवादीगण ने वादी से उक्त भूमि में कब्जा करने व दखल करने से मना कर दिया था इस कारण पूर्व वाद का निर्णय गुणावगुण पर नहीं हुआ था।
8. यह कि दिनांक 8.3.2017 को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 एक राय होकर वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि पर आ गये तथा वादी व उसके परिवार वालो में गाली गलोच करके मारपीट करने पर आमादा हो गये वादी को धमकी लगाई कि इस जमीन को हम तुझसे छीनकर रहेगे एवं तेरे द्वारा बोयी हुई गेहूँ की फसल को हम तुझे काटने नही देगे तु या तेरा परिवार अगर इस जमीन पर आया तो हु तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर देगे।
9. यह कि वाद कारण दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से जबरन फसल हांकने का प्रयास करने एवं वादी द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी देने पर वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर फरमायी जावे-

1. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 को वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि ख0सं0 544/438 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान, पटवार क्षेत्र ठिकरिया चारणान, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरूंधन, तहसील तालेडा जिला बून्दी पर जबरन कब्जा नही करने, वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने, कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट नही करने, निर्माण नही करने, वादी को बेदखल नही करने, वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे।
2. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 वादी को उसकी वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे, वादी की फसल को नष्ट करने का प्रयास न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये।
3. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर दौराने वाद कब्जा कर ले तो इसी वाद में आपस वादी को कब्जा दिलवाया जावे।
4. अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो दिलवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

5. वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 96 ग्राम लीलेडा चारणान संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी ग्राम लीलेडा चारणान संवत् 2071–73, आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम लीलेडा चारणान, भंवर लाल आ0 बाला जाति मीणा निवासी मोहीपुरा का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 की प्रतियाँ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 96 ग्राम लीलेडा चारणान संवत् 2071–74 प्रदर्श–1 में भंवरलाल वल्द हीरालाल कौम मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी उक्त विवादित कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारिणी है। है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0सं0 544/438 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान तहसील तालेडा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे न ही उक्त आराजी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे और न ही ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं व अन्य प्रतिनिधि से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जि.तालेड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास **कमल कुमार मीना , आर0ए0एस0**
भंवरलाल आ0 हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर आ0 बाला जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. कमला पत्नि नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. पप्पू उर्फ बजरंगलाल आ0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. मनभर पत्नि पप्पू जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. रामलाल आ0 बाला जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. गोपाल आ0 बाला जाति मीणा निवासी ग्राम मोहीपुरा बरड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 188 आर.टी.एक्ट

47/दावा/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री लीलाधर सिंह एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0सं0 544/438 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान तहसील तालेडा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे न ही उक्त आराजी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे और न ही ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं व अन्य प्रतिनिधि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसत्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 26 माह 02 वर्ष 2021 को जारी की गई।

मोहर

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जि.बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner